

12/6/24

वासी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादी
अधिवक्ता का वकालतनामा 2015
के शामिल पद्यावली जवाब पेश
नहीं। प्रतीत होता है उभयपक्ष
वाद पक्ष में कार्यवाही नहीं
चाहते हैं। पद्यावली 10 वर्षों से
लंबित है और अधिक समय
तक लंबित रखा जाना से
अचिप्य नहीं। वाद पक्ष Peakit
से खारिज किया जाता है।
पद्यावली का खिब कप्त है।

Wangji

रामायक कलक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़